न्यायालय कलेक्टर, जिला—अनूपपुर(म.प्र.)

रा.प्र.क.0012 / अ—20(3)2021—22

मुख्यनगरपालिका अधिकारी,नगरपरिषद अमरकंटक जिला—अनूपपुर (म.प्र.) ..... आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

आदेश

(दिनांक **10 जनवरी 2022**)

आवेदक मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद अमरकंटक जिला—अनूपपुर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत कपिलधारा डैम निर्माण कार्य हेतु आबंटित वन भूमि के बदले ग्राम करौंदाटोला तहसील पुष्पराजगढ की शासकीय भूमि खसरा कमांक 342 / 1,343 / 1 423 / 1 कुल रकवा 28.688 हेक्टेयेर वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2 / आवेदित भूमियों के आबंटन / हस्तांतरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ से निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन प्रकरण कमांक 0004 / अ—20(1) / 21—22 दिनांक 14 / 12 / 2021 प्राप्त है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमियों को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत कपिलधारा डैम निर्माण के लिये डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खसरा कमांक 343 / 1 में 20 लोगों का कब्जा 7.818 हेक्टेयर पर जिसमें 17 आवासी पट्टा प्रदाय किया गया है, जिसमें मकान बना है तथा 0.648 हेक्टेयर निस्तारी रास्ता के रूप में है। इस प्रकार कुल 8.466 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि 3.722 हेक्टेयर आबंटित की जानी है।

3 / म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन 2020 के अध्याय—चार भाग—क अनुसार नगरीय निकाय को नजूल भूमिस्वामी हक में आबंटित करने के लिये संभागीय मुख्यालय के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है। आवेदित भूमि तहसील पुष्पराजगढ अन्तर्गत अमरकंटक की है, जिसके लिये जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है। नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में भूमि का आबंटन—प्रयोजन तथा प्रब्याजि के संबंध में तालिका सरल कमांक 1 सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जैसे सडक,उद्यान,खेल का मैदान,फिल्टर प्लांट, कचरा, खन्ती(ट्रेचिंग ग्राउन्ड) अस्पताल, स्कूल कार्यालय आदि के लिये प्रब्याजि शून्य है। आवेदित भूमियां मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत कपिलधारा डैम हेतु आवंटित वन भूमि के बदले राजस्व की भूमि वन विभाग को वृक्ष लगाने हेतु हस्तान्तरित किया जाना है । आवेदक संस्था नगरपरिषद अमरकंटक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ से प्राप्त प्रतिवेदन प्रश्नाधीन भूमियों को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 05 / 01 / 2022 को उक्त शासकीय भूमियां वन विभाग को वृक्ष लगाये जाने हेतु हस्तांतरित किये जाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई है। समिति के बैठक / कार्यवाही विवरण की प्रति प्रकरण में संलग्न है।

4 / अतः म.प्र.नजूल निर्वतन निर्देश 2020 के अध्याय—चार के भाग—क में निहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम करौंदाटोला तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर (म.प्र.) की निम्नांकित शासकीय भूमियां वन विभाग को निःशुल्क बिना प्रब्याजि एवं भू भाटक के हस्तांतरित की जाती है।

2 /

भूमियों का विवरण

ग्राम/तहसील	आवेदित खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	हस्तांतरित भूमि (हेक्ट में)
करौंदाटोला/पुष्पराजगढ	342/1	6.845	6.845
	343/1	11.540	3.722
	423/1	10.283	10.283
योग	तीन किता	28.668 हेक्टेयर	20.850

आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार पुष्पराजगढ को भेजा जाय। तहसीलदार आदेश की इत्तलाबी खसरे व नक्शे में कर पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर उपलब्ध करायें तत्पश्चात प्रकरण नस्ती होकर दाखिल दफतर हो।

कलेक्टर
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

लेखा :- मा०चि०
दिनांक :- 14/01/22
पु०लि०

पृ.क. रा.प्र.क.0012/अ-20(1)2021-22 अनूपपुर दिनांक 10 जनवरी 2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त,मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग म.प्र.भोपाल।
3. आयुक्त शहडोल,संभाग शहडोल म.प्र.
4. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल अनूपपुर जिला-अनूपपुर।
5. अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर ।
6. तहसीलदार पुष्पराजगढ की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं राजस्व अभिलेख में इत्तलाबी दर्ज कर पालन प्रतिवेदन हेतु।
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद अमरकंटक जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

कलेक्टर
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)